राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(9) नविवि/3/2020 पार्ट–I   जयपुर, दिनांक :– 7 SEP 2021

<u>आदेश</u>

पर्यावरण संरक्षण हेतु मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम............(भवन विनियम)} 2020 के विनियम–10.11.1, 10.11.2 पर क्रमशः *वर्षा जल संरक्षण/संचयन तथा अपशिष्ट जल शुद्विकरण एवं रिसाईकिलिंग* के आवश्यक प्रावधान अंकित किये गये है, अनुसूची–2 के क्रम संख्या–5 के अनुसार *वर्षा जल संरक्षण/संचयन* हेतु अमानत राशि निर्धारित है। सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार उक्त प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1. **वर्षा के पानी द्वारा भू–गर्भ का जल स्तर बढाने के संबंध में :–**

   225 व.मी. अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों में सैटबैक क्षेत्र में भू–गर्भ का जल स्तर बढाने हेतु वॉटर हार्वेस्टिंग इकाई/संरचना निर्मित करने का प्रावधान अनिवार्य है।

   नोट :– उपरोक्तानुसार निर्मित किये जाने वाले वॉटर हार्वेस्टिंग इकाई/संरचना के कार्य करने में सक्षम है तथा इसका उपयोग प्रभावी ढंग से हो रहा है अथवा नहीं, के परीक्षण हेतु भू–जल विभाग/जन संसाधन विभाग एवं इस क्षेत्र में अनुभवी सेवा निवृत्त अभियंता से कराया जाकर अभियंता से सुचारू संचालन रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही धरोहर राशि लौटाई जा सकेगी। ऐसे तकनीकीविज्ञो द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्थानीय निकाय से निर्धारित शुल्क, फीस के रूप में आवेदक से सीधे ही ली जा सकेगी।

2. **अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलिंग के संबंध में :–**
   (i) 2500 व.मी. तथा उससे बडे भूखण्डों में स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ट जल (waste water) के शुद्विकरण एवं रिसाईकिलिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसमें टॉयलेट से निकलने वाला जल शामिल नहीं होगा।
   (ii) टॉयलेट में उपयोग में ली जाने वाली वॉटर क्लोजेट में ड्यूल फ्लश बटन वाले सिस्ट्रन ही अनुमत होंगे।

3. उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त विनियम–10.11.1, 10.11.2 के शेष प्रावधान यथावत रहेगे।
4. अनुसूची –2 के क्रम संख्या–5 में भूखण्ड (300 से अधिक व 500 व.मी. तक) के स्थान पर भूखण्ड (225 अथवा अधिक 500 व.मी. तक) पढा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

7/9

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम